HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 04 आरोपियों को आजीवन कारावास व 15,000-15,000/- रुपये (कुल 60,000/-रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 09.07.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 04 आरोपियों को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 07.06.2022 को अभियुक्त 1- राहुल पुत्र जयकरण, 2- गौरव पुत्र लेखराज, 3- मनवीर उर्फ मोनू पुत्र सुरेन्द्र व 4- अजयवीर उर्फ अज्जू पुत्र सुन्दर समस्त निवासीगण फुल्डेहरा थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर मु0अ0सं0 276/2022 धारा 376डी0ए0, 506 भादवि व 5जे(2)/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 09.07.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 09.07.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा आजीवन कारावास व 15,000-15,000/- रुपये (कुल 60,000/-रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री श्यौदान सिंह एवं पैरोकार का0 अनुज कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।